



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253436
CG-DL-E-28032024-253436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946

No. 220]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

सं. 01/2024 – संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 234(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 16 तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 367(अ), तारीख 16 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

i. क्रम सं. 3 और 4 के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण के संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सदस्य का पदनाम
(1)	(2)	(3)
“3.	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	(i) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, वडोदरा क्षेत्र; (ii) आयुक्त, (संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर), संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव।

ii. स्तंभ (1) के अधीन, क्रम सं. 5 को क्रम सं. 4 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/3/2024-एसटी-1-डीओआर]

सुनील कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, सा.का.नि. 367(अ), द्वारा तारीख 16 मई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

No. 01/2024 - Union Territory Tax

G.S.R. 234(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and section 99 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, hereby, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 04/2019 – Union Territory Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 367 (E), dated the 16th May, 2019, namely: -

1. In the said notification, in the Table, -

i. for Sl. Nos. 3 and 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

SI. No.	Name of Union territory of Appellate Authority for Advance Ruling	Designation of the Member
(1)	(2)	(3)
“3.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	(i) Chief Commissioner of Central Tax, Vadodara Zone; (ii) Commissioner, (Union territory Goods and Services Tax), Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

ii. under column (1), SI. No.5 shall be re-numbered as SI. No. 4.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-31011/3/2024-ST-I-DoR]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 367(E), dated the 16th May, 2019.